ALL INDIA DEFENCE EMPLOYEES' FEDERATION
BHARTIYA PRATIRAKSHA MAZDOOR SANGH
(RECOGNIZED FEDERATIONS OF DEFENCE CIVILIAN EMPLOYEES)
CONFEDERATION OF DEFENCE RECOGNISED ASSOCIATIONS

Joint Circular No. : 42/2021 Date : 18.10.2021

सेवा में,

AIDEF, BPMS, AIBDEF के सभी संबद्ध संघ और CDRA के सहयोगी मान्यता प्राप्त संघों (एआईडीईएफ और बीपीएमएस) और सीडीआरए द्वारा प्रतिनिधित्व आयुध कारखानों के निगमीकरण के बाद विभिन्न सेवा मामलों पर मुद्दे।

डीडीपी बार-बार कह रहा है कि "जब तक कर्मचारी नई संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे, तब तक वे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू सभी नियमों और विनियमों के अधीन रहेंगे। उनके वेतनमान, भत्ते, छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं , कैरियर की प्रगति और अन्य सेवा शर्तें भी मौजूदा नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी जैसा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है"। परन्तु, आयुध कारखानों के निगमीकरण के बाद 01/10/2021 के बाद, निगम विभिन्न विषयों जैसे काम के घंटे, काम के लाभ की सीमा आदि पर मौजूदा सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए, कुल उल्लंघन में कर्मचारियों के हितों के खिलाफ एकतरफा निर्णय ले रहे हैं जो डीडीपी ओएम दिनांक 24/09/2021 के माध्यम से सूचित, कैबिनेट के निर्णय के खिलाफ है।

उपरोक्त घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, हमने आज सचिव (डीपी) को एक विस्तृत पत्र जारी किया है जिसमें आयुध कारखानों में हो रहे सेवा मामलों पर कैबिनेट के फैसले के विरोधाभास में सभी विसंगतियों को उनके ज्ञान में लाया गया है। हमारे संयुक्त पत्र दिनांक 18/10/2021 की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

प्रति
सचिव (डीपी) रक्षा उत्पादन विभाग
साउथ ब्लॉक। नई दिल्ली।

विषय: डीडीपी के दिनांक 24/09/2021 के कार्यालय ज्ञापन का उल्लंघन और कैबिनेट निर्णय और 7 निगमों द्वारा एकतरफा निर्णय लेने वाले मामले पर जो माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन है।

संदर्भ:

1) हमारा संयुक्त पत्र क्रमांक 122/एआईडीईएफ/बीपीएमएस/सीडीआरए/21। दिनांक 07/10/21

2) हमारा संयुक्त पत्र संख्या 123/एआईडीईएफ/बीपीएमएस/सीडीआरए/21। दिनांक 07/10/2021 आयुध कारखानों और शीर्ष/राष्ट्रीय जोर पर आईआर मशीनरी के कामकाज के विषय पर

महोदय,
हमारे उपरोक्त संदर्भित पत्र डीडीपी के पास लंबित हैं और आज तक न तो हमें कोई प्रतिक्रिया मिली है, न ही उपरोक्त पत्रों में हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कोई बैठक बुलाई गई है। अपने उपरोक्त दो पत्रों के क्रम में हम यह पत्र आपको 16/07/2021 और 27/08/2021 को आयोजित बैठक में माननीय रक्षा मंत्री और स्वयं द्वारा दी गई प्रतिबद्धताओं की व्यवस्थित और जानबूझकर अवहेलना के बारे में सूचित करने के लिए लिख रहे हैं। और डीडीपी ओएम दिनांक 24/09/2021 के पैरा-5 में भी उल्लेख किया गया है कि सरकार आयुध कारखानों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू है, भले ही इसे

निगम में परिवर्तित किया गया हो। आपको याद होगा कि आपके साथ अपनी सभी चर्चाओं के दौरान हमने इस पर अपनी आशंका को पेश किया है और आपने हमें फिर से आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा। परन्तु, कर्मचारियों से संबंधित मामलों के संबंध में 7 निगमों में 01.10.2021 के बाद की घटनाएं कैबिनेट/डीडीपी कार्यालय दिनांक 24/09/2021 द्वारा लिए गए निर्णय और रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई प्रतिबद्धताओं के विपरीत हैं।

<u>आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों के साप्ताहिक कार्य घंटों में एकतरफा परिवर्तन</u>

सभी 7 निगमों में अधिकारियों द्वारा कारखानों में कर्मचारियों के काम के घंटों को एकतरफा रूप से 44-3/4 घंटे से बदलने का एक व्यवस्थित प्रयास किया है।

इस संबंध में सरकार/ओएफबी के निर्देशों के अनुसार कारखानों में काम करने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सामान्य ड्यूटी घंटे प्रति सप्ताह 44-3/4 हैं। यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी रक्षा मंत्रालय के 05-11-1973 के आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें कर्मचारियों की 4 श्रेणियों - दरवान, गेट कीपर, फायर ब्रिगेड कर्मचारी और टेलीफोन ऑपरेटर - के लिए 48 कार्य घंटे निर्धारित किए गए थे। इसके बाद ओएफबी ने अपने पत्र दिनांक 5 जून 1989 द्वारा स्पष्ट किया है कि आयुध कारखानों के सामान्य कामकाजी घंटे प्रति सप्ताह 44-3/4 घंटे हैं, भले ही श्रेणियां कुछ भी हों। इसलिए, कैबिनेट निर्णय और MoD OM दिनांक 24-09-2021 के अनुसार, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों पर लागू सभी नियम और विनियम समान रूप से लागू होंगे और मानित प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की सेवा शर्तों की रक्षा की जाएगी। निगमों के पास कर्मचारियों के काम के घंटों सहित किसी भी सेवा शर्तों को मनमाने ढंग से बदलने का कोई अधिकार नहीं है।

ओवरटाइम वेतन/ओवरटाइम भत्ता आयुध निर्माणी कर्मचारियों के वेतन का एक अविभाज्य हिस्सा है।

आपके ज्ञान में लाया गया है कि आयुध कारखानों में काम करने वाले ओवरटाइम पर भुगतान दशकों से कर्मचारियों के वेतन/वेतन का अविभाजित हिस्सा है। इसलिए, निगमों द्वारा बिना किसी पूर्व चर्चा, नोटिस या सूचना के ओवरटाइम काम करने की इस सदियों पुरानी प्रणाली को वापस लेना पूरी तरह से माननीय रक्षा मंत्री द्वारा दी गई प्रतिबद्धता का उल्लंघन है क्योंकि इससे कर्मचारियों के वेतन में प्रत्येक माह में 10% से 20% तक की कमी आएगी।

टीसीएल और यंत्र इंडिया लिमिटेड द्वारा पीस वर्क प्रॉफिट सीलिंग लिमिट को मनमाने ढंग से वापस लेना

सरकार के आदेशों के अनुसार 6वीं सीपीसी वेतनमान में पीस वर्क दरों को सह-सम्बन्धित करते हुए पीस वर्क लाभ अर्जित करने की अधिकतम सीमा 75% रखी गई है। 01-01-2016 से ७वीं सीपीसी पे स्केल में पीस वर्कर्स की प्रति घंटा दरों को सह-संबंधित करने का प्रस्ताव लगभग 4 वर्षों से डीडीपी के पास लंबित है। हालांकि, टीसीएल और यंत्र इंडिया लिमिटेड निगमों ने 75%-पीस वर्क प्रॉफिट की सीलिंग लिमिट को हटाने के आदेश जारी किए हैं। हम यह समझने में विफल हैं कि निगम इस संबंध में राष्ट्रपति के आदेशों में कैसे संशोधन कर सकते हैं। मजदूरों का शोषण करने के इरादे से ही ऐसा किया गया है।

आयुध कारखानों में चिकित्सा सुविधाओं और रोगी देखभाल सेवाओं में गड़बड़ी

चिंता का एक अन्य क्षेत्र 7 निगमों के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता है क्योंकि कारखानों से जुड़े अस्पताल अब सीधे आयुध निर्देशालय (समन्वय और सेवा) के तहत काम कर रहे हैं और बुनियादी दवाओं

की खरीद के लिए पैसे के लिए भूखे हैं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब सरकार कर्मचारियों की सेवा शर्तों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, तो कर्मचारी निगमों के गठन के एक सप्ताह बाद ही आयुध निर्माणी चिकित्सा विनियमन नियम के अनुसार अपनी बुनियादी चिकित्सा आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा, धन की अनुपलब्धता की दलील पर चिकित्सा अग्रिम का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। फाईनल चिकित्सा क्लेमों को भी इसी कारण लिए लंबित रखा जाता है।

आयुध निर्माणी अस्पताल और उसके कर्मचारियों को अब सीधे आयुध निर्देशालय (सी एंड एस) के अधीन रखा गया है। चूंकि अस्पतालों को केवल पांच लाख रुपये आवंटित किए जाते हैं, इसलिए अस्पताल आवश्यक दवाओं की खरीद और कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को जारी करने की स्थिति में नहीं हैं। आयुध निर्माणियों के महाप्रबंधक, जहां पहले ये अस्पताल संलग्न थे, वे भी इस दलील पर अस्पतालों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार नहीं हैं कि अस्पताल उनके नियंत्रण में नहीं हैं और बजट केवल आयुध निर्देशालय (सी एंड एस) द्वारा प्रदान किया जाना है। उदाहरण के लिए, एचवीएफ अवाडी में एक प्रमुख आयुध निर्माणी अस्पताल को केवल 5 लाख रुपये की मामूली राशि आवंटित की गई है, जबकि अकेले एचवीएफ अस्पताल का संचयी व्यय 14.44 करोड़ रुपये है और अस्पताल को अकेले अक्टूबर महीने के लिए 66 लाख रुपये की आवश्यकता है। यही हाल सभी आयुध निर्माणी अस्पतालों का है।

आयुध निर्माणी अस्पतालों को कर्मचारियों और उनके परिवारों को चौबीसों घंटे चिकित्सा कवरेज देना होता है। इस उद्देश्य के लिए अब तक कर्मचारियों (नर्सिंग और पैरा मेडिकल स्टाफ) को ओवरटाइम के रूप में तैनात किया गया था। वर्तमान में आयुध निर्देशालय के ओएचएस ने निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी अस्पताल के कर्मचारी को समय से पहले ड्यूटी पर नहीं बताया जाएगा। इसके चलते इन अस्पतालों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कर्मचारियों को इस शर्त के साथ सप्ताह में 48 घंटे का समय देने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि कोई ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा, और उन्हें इसके

बदले में छुट्टी मिलेगी। यह इस विषय पर सरकार के निर्देशों के खिलाफ भी है। जब भी कर्मचारियों को सामान्य काम के घंटे 44 से अधिक और 48 घंटे तक यानी 3 और 1/4 घंटे की अवधि के लिए काम करने के लिए कहा जाता है, तो कर्मचारियों को विभागीय दरों (एकल दर) पर ओवरटाइम का भुगतान करना पड़ता है।

<u>जीपीएफ निकासी में कठिनाइयाँ</u>

सीजीडीए के निर्देशों के बावजूद कि स्थानीय लेखा कार्यालय कई कारखानों में जीपीएफ निकासी के मामलों को संसाधित करना जारी रखेगा, एलएओ जीपीएफ निकासी के दावों को संसाधित नहीं कर रहे हैं, और कर्मचारियों को जीपीएफ निकासी नहीं मिल रही है। यह सेवा मामलों पर कैबिनेट के फैसले का भी स्पष्ट उल्लंघन है। इसे तत्काल निपटाने की जरूरत है।

<u>दयालू आधारित नियुक्ति</u>

सभी आयुध फैक्ट्रियों में **दयालू आधार पर**_अपॉइंटमेंट भी दिनांक 01.04.2015 से बंद कर दिया गया है। 01/10/2021 महाप्रबंधकों द्वारा विभिन्न दलीलों पर, यहां तक कि जिन मामलों को 30/09/2021 तक अंतिम रूप दिया जाता है, उनके मामलों में भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, और यह समझा जाता है कि मामला संबंधित निगमों को भेजा जाता है। यह स्पष्ट रूप से **दयालू आधार पर** नियुक्ति के उद्देश्य और कैबिनेट के फैसले का स्पष्ट उल्लंघन है।

<u>इंटर फैक्ट्री/इंटर डायरेक्टरेट ट्रांसफर केस</u>

औद्योगिक कर्मचारियों, एनआईई, एनजीओ और जेडब्ल्यूएम के बड़ी संख्या में स्थानांतरण आवेदन, जो रक्षा मंत्रालय के भीतर सहयोगी आयुध कारखानों और

अन्य निदेशालयों में स्थानांतरण के लिए अनुरोध कर रहे हैं, लंबित हैं और निगमीकरण के कारण नहीं सुलझे हैं। इन पर निर्णय लेने की जरूरत है।

<u>औद्योगिक संबंध मशीनरी का ठहराव</u>

सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन की एक और जानबूझकर अवहेलना, आयुध निर्माणी, मेडक में जेसीएम-IV स्तर की समिति के कामकाज को मौजूदा सेवा शर्तों के पूर्ण उल्लंघन और औद्योगिक संबंधों की परवाह किए बिना निलंबित करने के लिए आयुध निर्देशालय (सी एंड एस) द्वारा लिया गया एकतरफा निर्णय है। कारखानों में इसके अलावा, जैसा कि पहले से ही आपके निर्देशों का प्रतिनिधित्व किया गया है, सभी आईआर मशीनरी (कारखाना स्तर और ओएफबी स्तर) के कामकाज को जारी रखने के लिए आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है, क्योंकि सभी आयुध निर्माणी कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं।

<u>निष्कर्ष</u>

उपरोक्त घटनाक्रमों को देखते हुए, 7 निगमों और आयुध निर्देशालय (सी एंड एस) के अधिकारियों को कैबिनेट के फैसले/सरकारी आदेश और उनके द्वारा दिए गए प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन में कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में एकतरफा निर्णय लेने से रोकने की तत्काल आवश्यकता है। माननीय रक्षा मंत्री और सचिव/डीपी स्पष्ट शब्दों में जैसा कि ऊपर बताया गया है। इससे भी अधिक, जब पूरा मामला न्यायालय के विचाराधीन है, तो क्या न्यायिक जांच के लिए आने वाले सेवा मामलों से संबंधित मनमाने निर्णय लेना सही है?

जब किसी अधिकार के बिना और मामले में सरकार की प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हुए कर्मचारियों की सेवा शर्तों में बदलाव किया जाता है, तो फेडरेशन मूकदर्शक नहीं बन सकते। चूंकि उत्पादन और उत्पादकता को प्रभावित

करने वाले कारखानों में औद्योगिक संबंधों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसलिए सभी संबंधितों को ऐसी गतिविधियों से दूर रहने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

इसलिए, हम एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आवश्यक कार्रवाई करें और उपरोक्त सभी मुद्दों पर 7 निगमों को आवश्यक निर्देश जारी करें, जिसमें कारखाने और शीर्ष / राष्ट्रीय स्तर दोनों पर आईआर मशीनरी के कामकाज शामिल हैं, ताकि आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तों के संबंध में उनकी गलतफहमी को दूर किया जा सके।

आपको धन्यवाद,

Thanking you,

Yours Sincerely,

(C. SRIKUMAR)
GENERAL SECRETARY / AIDEF
09444080885
defempfed@gmail.com

M. K. Singh
(MUKESH SINGH)
GENERAL SECRETARY / BPMS
09335621629
gensecbpms@yahoo.co.in

VIJAY P DHYANI
GENERAL SECRETARY / CDRA
09999766016
gscdra@gmail.com

Copy to:

1) **The Defence Secretary**
Ministry of Defence,
Government of India,
South Block, New Delhi 110001.
2) **The Director General Ordnance(C&S)**
Ayudh Bhawan, Kolkata.
3) **The Chief Labour Commissioner(C)**
Ministry of Labor and Employment
New Delhi.

for kind information and favourable action please.